भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1035

उत्तर देने की तारीखः 09.03.201**7**

फेल न करने की नीति में बदलाव

1035. श्री लाल सिंह वडोदियाः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि सरकार छात्रों को फेल न करने की नीति में परिवर्तन करने पर पुनः**

**विचार कर रही है**;

**(ख) यदि हां**, **तो क्या सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम उठाया है**; **और**

**(ग) यदि हां**, **तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं**, **तो इसके क्या कारण हैं**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री उपेंद्र कुशवाहा)

(क) से (ग): निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 16 में इस अनुबंध का उल्लेख है कि “स्कूल में प्रवेश प्राप्त किसी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा अथवा स्कूल से निकाला नहीं जाएगा।” इस प्रकार यह नीति कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा स्कूलिंग को कवर करती है।

दिनांक 6 जून, 2012 को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की 59वीं बैठक में लिए गए संकल्प के अनुसरण में आरटीई अधिनियम, 2009 में “नो डिटेंशन” उपबंध के संदर्भ में सतत् और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) के कार्यान्वयन के आकलन के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया था। उप-समिति ने अगस्त, 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उप-समिति की रिपोर्ट दिनांक 19.08.2015 को हुई सीएबीई की बैठक में प्रस्तुत की गई जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को “नो डिटेंशन” नीति पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। 28 राज्यों ने “नो डिटेंशन” नीति पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इनमें से 23 राज्यों ने “नो डिटेंशन” नीति में संशोधन का सुझाव दिया है।

दिनांक 19.08.2016 को हुई सीएबीई समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में अन्य बातों के साथ-साथ “नो डिटेंशन” नीति पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा के लिए 26.10.2015 को प्रोफेसर वासुदेव देवनानी, शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक अन्य उप-समिति का गठन किया गया। समिति की सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

(i) कक्षा 5 में परीक्षा ली जानी चाहिए। यह निर्णय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर छोड़ देना चाहिए कि यह परीक्षा स्कूल, ब्लॉक, जिला अथवा राज्य स्तर पर होगी।

(ii) यदि छात्र अनुत्तीर्ण होता है तो उसे सुधार का एक अवसर दिया जाए। छात्र को अतिरिक्त अनुदेश दिए जाने चाहिए और छात्र को एक और परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि छात्र दूसरे अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता तो छात्र को कक्षा में रोक दिया जाए।

(iii) कक्षा 6 तथा 7 में विद्यार्थियों के लिए स्कूल आधारित परीक्षा होनी चाहिए।

(iv) कक्षा 8 में बाह्य परीक्षा ली जानी चाहिए। यदि छात्र अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र को अतिरिक्त अनुदेश दिया जाना चाहिए तथा तब उसे सुधार परीक्षा में बैठना चाहिए। यदि वह पुनः अनुत्तीर्ण होता है तो उसे कक्षा में रोक दिया जाए।

आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 16 में संशोधन का मामला मंत्रालय में सक्रिय रूप में विचाराधीन है।

\*\*\*\*\*